



हरियाणा में स्वतन्त्रता आंदोलन (1930-1932): एक नवीन मूल्यांकन

डॉ० सुखवीर सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास,

चौ० बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय, लोहारू (भिवानी)

Email: sukhvir7678@gmail.com

परिचय:

गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा दौर 1930 ई० से प्रारम्भ हुआ जो 1942 ई० तक चला। 26 जनवरी 1930 ई० को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लम्बे समय से स्थिर पड़ चुके राष्ट्रीय आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन के समक्ष नमक कर को समाप्त करने, भू-राजस्व को कम करने और शराब पर प्रतिबंध सहित 11 मांगों को 31 जनवरी 1930 ई० को एक पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। लार्ड इर्विन को इन मांगों को मानने के लिए 11 मार्च तक का समय दिया गया था परन्तु सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने का निर्णय लिया, जिसका हरियाणा क्षेत्र में भी 1930 ई० से 1932 ई० के मध्य व्यापक असर देखा गया।

सारांश:

हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह(1930-1932) के दौरान लोगों ने विरोध-प्रदर्शनों, पिकेटिंग, हड़तालों, जुलूसों, धरनों और बहिष्कार आदि माध्यमों से देश के अन्य भागों की तरह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए। इस आंदोलन से पूर्व ही जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए हुए प्रदर्शनों के दौरान हरियाणा क्षेत्र के नगरों में व्यापक जनजागृति फैल चुकी थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसंबर, 1929) में पारित पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव की अनुपालना में 26 जनवरी, 1930 को हरियाणा क्षेत्र के सभी बड़े नगरों में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और बड़े-बड़े जुलूस और आम सभाएं आयोजित की गईं। गांधीजी द्वारा 6 अप्रैल, 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ ही हरियाणा में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से प्रारंभ हो गया। रोहतक, झज्जर, भिवानी, पानीपत, अंबाला, हिसार, सिरसा, गुड़गांव और करनाल आदि शहरों में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह किया गया। रोहतक में जिला कांग्रेस द्वारा आंदोलन की शुरुआत झज्जर तहसील में जाहिदपुर गांव में एक कुंआ राव मंगलीराम के नाम पर पट्टे पर लेकर की गई। नमक कानून तोड़ने के लिए पहला जत्था प० श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में रोहतक से रवाना हुआ। महात्मा गांधी के विशेष प्रतिनिधि श्री खड़गबहादुर ने हरियाणा का दौरा कर गांधी जी का संदेश लोगों तक पहुंचाकर सत्याग्रह का प्रचार किया। हरियाणा के 25 उत्साही स्वयंसेवकों ने धारसना जिला वलसाड, गुजरात पहुंचकर मई, 1930 के धारसना सत्याग्रह में श्रीमति सरोजनी नायडू के नेतृत्व में आयोजित ऐतिहासिक आयोजन में भाग लिया और पुलिस के लाठीचार्ज में चोटिल हुए। हरियाणा के विभिन्न शहरों में आंदोलन के दौरान हुए सत्याग्रह में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पुलिस के दमन का शिकार हुए। नमक कानून तोड़ने के साथ-साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती थी। हरियाणा क्षेत्र में आंदोलन को देश और दुनिया देने में गोपीचंद भार्गव, मदन मोहन मालवीय, प० नेकीराम शर्मा, सूरजभान और अब्दुल गफ्फार खां आदि नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अकेले अंबाला जिले में लगभग 5000 लोगों ने सिर्फ खादी पहनने की शपथ ली। सरकार ने आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए दमनकारी नीतियां अपनाकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। कांग्रेस



को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। भाषण, जनसभा और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भी आंदोलनकारी गतिविधियां जारी रहीं। झज्जर में 12-13 अप्रैल, 1930 को सूरजभान की अध्यक्षता में आयोजित जिला राजनैतिक कांग्रेस में हजारों कृषकों ने भाग लिया। सरकार ने "फूट डालो और राज करो" की नीति भी अपनाई। अकाल सहायता और तकावी देने का लालच देकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को गांवों में भेजा जाने लगा और लोगों को आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा जाने लगा। इसी दौरान सितंबर, 1930 में केंद्रीय विधानमंडल और पंजाब विधानपरिषद् के चुनाव हुए। कांग्रेस द्वारा चुनाव के बहिष्कार के कारण यूनियनिस्ट पार्टी को व्यापक सफलता मिली और चौधरी छोटूराम पंजाब मंत्रीमंडल में शामिल हुए। यूनियनिस्टों की सफलता ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दिया और कांग्रेस का प्रभाव भी कम होने लगा। इसके पश्चात् हरियाणा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर पड़ गया। नगरों में कांग्रेस की गतिविधियां और सरगर्मी जारी रहीं। गांधी-इर्विन समझौते (5 मार्च, 1931 ई0) के अनुसार हरियाणा में राजनैतिक बंदी रिहा कर दिए गए। गांधी जी दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराशा होकर लौट आए। सरकार ने हरियाणा में फिर से रिहा हुए कैदियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। रोहतक से 1000, हिसार से 800, अंबाला और करनाल से 1000 और गुडगांव से 400 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तरों पर ताले लगा दिए और दमनचक्र फिर से प्रारंभ हो गया। रोहतक में पैनावर-डे मनाने पर सत्याग्रहियों की बुरी तरह से पिटाई की गई। रोहतक के 25 सत्याग्रही 10 दिसंबर 1932 को भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान पंडित मदन मोहन मालवीय के आह्वान पर लाल किले से चांदनी चौक होते हुए दिल्ली घंटाघर तक आयोजित जुलूस में शामिल हुए और गिरफ्तारी दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिसंबर, 1932 तक हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सत्याग्रह व्यापक रूप से जारी था। 1932 ई0 के पश्चात् हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे-धीरे स्थिर पड़ गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद लगभग 8 वर्षों तक भारत में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, इसके बीच बहुत सारी घटनाएं घटीं। गांधी जी ने राजनीति से दूर रहकर अनेक सकारात्मक कार्य किये जैसे चरखा कातना और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयास इत्यादि।

साइमन कमीशन का आगमन

8 नवंबर 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने सर जॉन साइमन के अधीन एक कमीशन गठित किया। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया। सम्पूर्ण भारत सहित हरियाणा में भी हर जगह इसका बहिष्कार किया गया तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और जुलूस निकाले गए। झज्जर में साइमन के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया। रोहतक जिले में हड़ताल हुई और एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे।

लाला लाजपत राय की मृत्यु का हरियाणा में राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव

साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब के लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यहां पर इसका जबरदस्त विरोध किया गया। विरोध करने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल, लाला दुनीचंद और अब्दुरहमान थे। इन्होंने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाये तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया गया जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। इसमें एक सभा में लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर हुआ लाठी का एक-एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा। लाठियों की चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से उत्पन्न आक्रोश के फलस्वरूप तत्कालीन



पंजाब और वि०षकर हरियाणा क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ क्योंकि लाला लाजपत राय का कर्मक्षेत्र तत्कालीन हरियाणा था। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह तथा उनके साथियों ने 17 दिसम्बर 1928 को पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी।

नेहरू रिपोर्ट तथा कोलकाता अधिवेशन

भारत सचिव लार्ड बक्रिनटेड ने कहा कि कोई भी भारतीय ऐसे संविधान का निर्माण नहीं कर सकता जो सर्वमान्य हो। इस चैलेंज को सभी भारतीय दलों ने स्वीकार कर एक संविधान निर्माण कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष पं० मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1928 में अपनी रिपोर्ट रखी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन कई नवयुवक नेता जैसे पं० जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने इसे स्वीकार नहीं किया और पूर्ण स्वराज्य की मांग थी।

लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग

इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अधिवेशन में हरियाणा से पं० श्रीराम, लाला श्यामलाल, कैप्टन बाली इत्यादि स्वतन्त्रता सेनानी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने पर भी विचार किया गया।

डॉ. पट्टाभि सीतारमैया कहते हैं, “स्वाधीनता दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि स्वदे”-भक्ति और आत्म-बलिदान के अंगारे, राज-भक्ति या कानून और व्यवस्था की गुलामी की राख से केवल ढके हुए थे। जरूरत इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह के साथ लाल अंगारों पर जमी हुई राख को फूंक मार कर हटा दिया जाये।”

सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकास

12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। गाँधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। गाँधी जी 124 दिनों की यात्रा के पश्चात दाँडी पहुँचे। पहले दिन व्रत रखा और 16 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर गाँधी जी ने नमक कानून तोड़ा। हरियाणा के राष्ट्रीय नेताओं ने आम जनता को इस आन्दोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 10 अप्रैल 1930 को रोहतक के एक कुएँ से पानी लेकर नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। 13 अप्रैल 1930 में झज्जर में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। इसी तरह हरियाणा के अन्य स्थानों बेरी, साँधी, सोनीपत, हिसार, रेवाड़ी और गुडगाँव के लोगों ने नमक कानून तोड़कर इस आन्दोलन में हिस्सा लिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। सरकार ने आन्दोलनकारियों पर दमनचक्र चलाया। लोगों को गिरफ्तार किया गया और मारा-पीटा गया। एक आँकड़े के अनुसार रोहतक से 380, हिसार से 90, गुडगाँव से 40, अम्बाला से 67 और करनाल से 33 लोग जेल गए। इसी बीच सितम्बर 1930 में चुनाव हुआ जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब प्रांत में सरकार बनाई। इसी दौरान 12 नवम्बर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया जिसमें काँग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 5 मार्च 1931 में महात्मा गाँधी और वाइसराय लार्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे ‘गाँधी-इरविन समझौता’ के नाम से जाना जाता है। इसमें यह तय हुआ कि राजनैतिक सत्याग्रहियों को छोड़ दिया जाएगा तथा काँग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। अतः गाँधी जी ने दिसम्बर 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया मगर खाली हाथ लौटे। इनकी किसी माँग को नहीं माना गया।

हरियाणा में सत्याग्रह आन्दोलन 1930-1932

1930 में 26 जनवरी को हरियाणा में पहला स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया और बहुत बड़े-बड़े जलूस निकाले गये और जगह-जगह आम सभायें की गईं। 13-2-1930 को काण्डी के स्थान पर गाँधी जी को



डाण्डी मार्च करते हुए 79 सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर दिया गया इसके साथ ही हरियाणा में भी ब्रिटिशराज के खिलाफ कांग्रेस का आन्दोलन जोर पकड़ गया और जिला कांग्रेस रोहतक में झज्जर तहसील में जाहिदपुर गांव में एक कुआं राव मंगलीराम के नाम पर पट्टे को लेकर नमक बनाने के लिए पहला जत्था पं० श्रीराम शर्मा की रहनुमाई में रवाना हुआ। रास्ते में पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कामरेड रामशरण दास को एक भाषण देने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बाबू श्यामलाल जिला कांग्रेस कमेटी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिले में आन्दोलन जोर पकड़ गया। देहात और कस्बों में कांग्रेस वॉलंटियर सत्याग्रह आश्रम में जमा होने लगे और शहर में जुलूस व जलसे शुरू हो गये। कपड़े व शराब की दुकानों पर पिकेटिंग शुरू हो गई और विदेशी कपड़ों को इकट्ठा कर जलाने लगे और चौधरी छाजूराम चिमनी ने 25 सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी और रोजाना गिरफ्तारियां होने लगीं। इस आन्दोलन में रोहतक जिले से लगभग 350 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। वायसराय लार्ड इर्विन की गाड़ी पर पुराने किले के पास दिल्ली में जो बम फेंका गया था वह बम रोहतक में बनाया गया था। 1927 से 1931 तक रोहतक क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। पं. लेखराम और यशपाल आदि क्रांतिकारी बम बनाने में शामिल थे। उक्त बम कामरेड लछमन दास के घर बनाया गया था।

प्रोफेसर एस. सी. मित्तल इस आन्दोलन का विवरण करते हुए लिखते हैं कि रोहतक में 10 अप्रैल, 1930 ई० को नमक कानून तोड़ा गया। हिसार में 13 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर नमक बनाया गया। इसी प्रकार रेवाड़ी में भी नमक कानून तोड़कर नमक बनाया गया और 1032 रुपये में इसकी नीलामी की गई। नमक का एक पैकेट 60 रुपये में एक लड़की के द्वारा खरीदा गया जो उसकी अब तक की बचत थी। अम्बाला में 25 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह किया गया। इसी के साथ रोहतक, भिवानी और अम्बाला के कपड़ा थोक व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा आयात बन्द करने की शपथ ली।

भिवानी में नमक सत्याग्रह

13 अप्रैल 1930 को भिवानी में जिला हिसार के हजारों कार्यकर्ता सिरसा, हिसार, डबवाली, हांसी तथा मिताथल स्थानों से आकर भिवानी में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया और उसके बाद में नमक बनाया गया। नमक की पुड़िया नीलाम की गई। इस आन्दोलन में पं० नेकीराम शर्मा, ए. के. देसाई और बाबू श्यामलाल सत्याग्रही, जमादार असेराम और ठाकुर शिवपाल सिंह आदि शामिल थे। भिवानी में कई रोज तक नमक बनाने का कार्य जारी रहा इसके बाद सारे जिले में आन्दोलन जोर-शोर से शुरू हो गया। हिसार, सिरसा, हांसी आदि शहरों में देहात से कांग्रेस वालंटियर भर्ती होकर सत्याग्रह करने लगे और काफी लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी।

हरियाणा के अन्य भाहरों में सत्याग्रह

जिला अम्बाला के लाला दुनीचन्द अंबाला और उनकी धर्मपत्नी कमला देवी, लाला सूरजभान, सरदार कपूर सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खां आदि नेताओं ने इस आन्दोलन को चलाने के लिए जिले के गांव-गांव जाकर सत्याग्रही भर्ती किए और शहरों में विदेशी कपड़ों को जलाने लगे तथा शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग करने लगे और नमक बनाकर लोगों ने गिरफ्तारियां दीं। कई बार यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोपड़ नारायणगढ़ में जुलूस निकाले गए। इसी प्रकार जिला गुडगाव व करनाल में भी शराब व विदेशी कपड़े पर पिकेटिंग करके गिरफ्तारियां दी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया और सत्याग्रह बन्द कर दिया और लन्दन गोल मेज कांफ्रेंस असफल हो गई। अम्बाला जिले ने इस आन्दोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगह-जगह विदेशी माल की होली जलाई गई। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। बरवाला के मुकाम पर जन समूह के सामने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया। 28 अप्रैल 1930 को लाला दूनीचन्द की पुत्री विद्यावती की अगुवाई में एक बहुत बड़ा जुलूस



निकाला और अनाज मण्डी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। अगस्त, 1930 को तिलक रोड़ पर बहुत बड़ा जलूस निकाला था। 6 मार्च, 1931 को सरदार खान ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे विदेशी कपड़े की बिक्री बन्द कर दें अन्यथा उनकी दुकानों पर पिकेटिंग की जायेगी। 6 अप्रैल, 1931 को जगाधरी के काँग्रेस वर्करज बिलासपुर गये और वहाँ विदेशी कपड़े की बिक्री बन्द करवाई। दो व्यापारियों सर्व श्री आत्माराम और सुमेर चन्द पर काँग्रेस के हुक्म के खिलाफ कपड़ा बेचने पर 15 रुपये और 16 रुपये 4 आने जुर्माना किया गया और मौके पर ही वसूल कर लिया गया। 1931 में ही सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई।

हरियाणा तिलक 3-2-1930- काँग्रेस प्रस्ताव के अनुसार जिला रोहतक में 26 जनवरी को पहला स्वतन्त्रता दिवस मनाने के लिए काँग्रेस ने जिले में जबरदस्त तैयारियां की और 10 जनवरी से 20 जनवरी तक रोहतक, झज्जर, बेरी, सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़, महम आदि कस्बों में राजनीतिक सभाएं की गयीं। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने की अपील की गई। जिले में 26 जनवरी मनाने के लिए लोगों में जबरदस्त जोश था। 26 जनवरी 1930 को रोहतक में सुबह अनाज मंडी में लोगों ने पहले स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोमी तिरंगा लहराया। उसके बाद काँग्रेस के वर्करों ने हर दुकान और मकानों पर झंडा लहराया। दोपहर को एक बहुत बड़ा जलूस शहर में निकाला गया जिसमें बैल-टेलों पर भजन उपदेशक प्रचार कर रहे थे और शहर कोमी नारों से गूंज रहा था। हजारों स्त्री-पुरुष व बच्चों ने जलूस में हिस्सा लिया और इसके पश्चात एक बहुत बड़ा जलसा बाबू श्यामलाल एडवोकेट की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें पं० श्रीराम शर्मा व पं० रामफूल सिंह, चौधरी बलदेव सिंह, चौधरी सलवन्त सिंह, चौधरी श्योचन्द बाघपुर आदि के भाषण हुए तथा इसके पश्चात पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। रोहतक के अलावा सोनीपत, हिसार, अम्बाला, करनाल, पानीपत आदि शहरों में भी पहला स्वतन्त्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा तिलक 25-2-1930 के अनुसार 1930 में काँग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन जारी करने के कारण कौंसिलों के चुनाव में कोई भाग नहीं लिया।

सत्याग्रह का बिगुल बज गया

हरियाणा तिलक 18-4-1930- अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया और महात्मा गाँधी 12-3-1930 को सत्याग्रहियों के साथ डाण्डी सत्याग्रह के लिए रवाना हो गए और 13-3-30 को धारसना के पास रात के समय सोते हुए काण्डी के मुकाम पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह समाचार अगले रोज जब अखबारों में पढ़ा गया तो सारे देश में जलसे-जलूस निकलने शुरू हो गए, और सत्याग्रह की तहरीक में हजारों लोग हिस्सा लेने लगे। जगह-जगह नमक बनने लगा व विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी व दूसरी चीजों का बाईकाट होना शुरू हो गया। जिला रोहतक काँग्रेस कमेटी ने लोगों से जबानी मालूम किया कि कुछ समय पहले रोहतक में कई जगह पर नमक तैयार होता था। इसलिए काँग्रेस के वर्करों ने जाहिदपुर गाँव में जाकर नमक के कुओं की देखभाल की तथा गाँव के लोगों से नमक के बारे में पता लगाया। ये गाँव झज्जर से 7-8 मील पर दक्षिण की ओर है। इस गाँव के करीब 40 कुएं थे जिनका पानी खारा होने के कारण उससे नमक तैयार किया जाता था।

वालंटियरो की भर्ती

रोहतक जिले में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी के बाद काँग्रेस बालंटियरो की भर्ती शुरू कर दी गई थी जो शांत रहकर काँग्रेस के प्रोग्राम के अनुसार सत्याग्रह करने, मार खाने और जेल जाने आदि हर किस्म की कुर्बानियों के लिए हमेशा तैयार हो। पहला जत्था मंजूरी आते ही ला० श्यामलाल एडवोकेट के संरक्षण में रवाना होता। मंजूरी न होने की बजह से व्यक्तिगत तौर से काँग्रेसी देश भक्त जेलों को जाने



शुरू हो गये। बाबू श्याम लाल की गिरफ्तारी के पश्चात पं० श्रीराम शर्मा ने गांव में दौरा शुरू किया और 50 वालंटियर सत्याग्रह के लिए तैयार होकर आश्रम में जमा हो गए। 7 अप्रैल को एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा अनाज मंडी रोहतक में हुई। सभी वालंटियर ने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया था कि 11 अप्रैल को हर जिले और तहसील के स्थान पर नमक बनाकर कानून तोड़ा जाए इस प्रोग्राम के अनुसार सारे पंजाब में 11 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह की शुरुआत की गई और सारे पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। मुख्य कांग्रेसी नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। जिला रोहतक में पं० श्रीराम शर्मा 10 अप्रैल को लाहौर से सत्याग्रह को मन्जूरी ले कर आ गए और कांग्रेस प्रोग्राम के एलान के मुताबिक 11 तारीख को 4-30 बजे सत्याग्रह आश्रम रेलवे मण्डी रोहतक से पं० श्रीराम शर्मा 10 वालंटियर सत्याग्रहियों का जत्था लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए चले। इसके बाद सत्याग्रहियों ने मन्दिर के कुए पर पहुंच कर कौमी नारों की गूंज के साथ नमक तैयार करना शुरू कर दिया और जिले में कांग्रेस प्रोग्राम के अनुसार नमक कानून तोड़ने की सिविल नाफरमानी शुरू कर दी। इस प्रोग्राम के अनुसार जिला कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि इस कार्य को शुरू करने के बाद जिला स्तर की राजनैतिक सभा की जाए। इसलिए 12 और 13 अप्रैल को बाहर झज्जर में जिला राजनीतिक कान्फ्रेंस की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान लाला सूरजभान अम्बाला ने की। सभा का स्वागत राव मंगली राम अध्यक्ष स्वागत समिति ने किया। सभा में जिला रोहतक के कई हजार आदमियों ने इकट्ठे हो कर सत्याग्रह आन्दोलन को चलाने का प्रण किया यह सभा जिले में सत्याग्रह की नींव रखने के लिए बुलाई गई थी। सभा को नाकामयाब करने के लिए जिले के अंग्रेज परस्त टोडियों ने बड़ी कोशिश की और देहात में अपने एजेन्टों के द्वारा सभा में शामिल न होने के लिए प्रचार किया। 12, 13 अप्रैल को झज्जर के चारों तरफ यूनियनिस्ट पार्टी वालों ने बड़े-बड़े गांव में कुश्तियों का इन्तजाम कर दिया, ताकि लोग कांग्रेस की सभा में शामिल न हों। हरियाणा में लोगों को कुश्तियों का बड़ा शौक है। सरकार की हजुर निवाज पार्टी ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया और यह अफवा भी फैलाई कि सभा नहीं होगी। लोगों को डराने के लिए कांग्रेस के दूसरे कारकूनान पं० श्रीराम शर्मा आदि गिरफ्तार कर लिए गए थे। 11 अप्रैल को पं० श्रीराम शर्मा आश्रम से अपना जत्था ले कर झज्जर सभा में शामिल होने के लिए चल दिए। यह जत्था सभा के पश्चात् जहादपुर जा कर नमक कानून तोड़ता हुआ पैदल रोहतक से बेरी होता हुआ झज्जर जा रहा था। गांव रिटोली की चौपाल में पहुंच कर इस जत्थे ने कांग्रेस का प्रचार शुरू कर दिया।

श्रीराम शर्मा जब तकरीर कर रहे थे तो अंग्रेज सुप्रिटेन्डेन्ट पुलिस मोटर लेकर वहां पहुंच गया और उन्हें गिरफ्तार करके रोहतक ले आए। झज्जर में सभा के जनरल सैक्रेटरी पं० मोहन स्वामी और दूसरे लोगों को जिनमें पाँच वालंटियर शामिल थे, को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन की गिरफ्तारी होते ही शहर में हड़ताल हो गई। सिलानी गेट के नजदीक जो सभा हो रही थी उसमें पुलिस ने स्टेज पर बैठे सोनीपत के प्रधान ला० काशीराम को गिरफ्तार कर लिया। इन की गिरफ्तारी पर लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया लेकिन कांग्रेस के लीडरान ने लोगों की शान्त रहने की अपील की तो लोग शान्त हो गए।

गाँधी-इरविन समझौता

5 मार्च, 1931 को गांधीजी और भारत के वायसराय लार्ड इरविन के बीच समझौता हो गया और सभी आंदोलनकारियों को जेलों से छोड़ दिया गया। देशभक्तों के जत्थे जब अपने-अपने शहरों और कस्बों में पहुंचे तो उनका हार्दिक स्वागत किया गया और नागरिकों ने उनके बलिदानों के लिए उनके प्रति आभार प्रदर्शित किया। जनता ने सत्याग्रहियों का सही अर्थों में स्वाधीनता सेनानियों जैसा ही स्वागत किया। अबकी बार देशभक्त राष्ट्र के लिए एक लक्ष्य प्राप्त करके बाहर आए थे। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह ने सरकार



को झुकने के लिए मजबूर किया था और भारत के वायसराय ने राष्ट्रीय भावनाओं को समाझा था, पहचाना था और दोनों 'राजपुरुषों' ने एक बीच का मार्ग खोज ही लिया था।

सत्याग्रह का हरियाणा पर प्रभाव

हरियाणा के जनजीवन पर इस सत्याग्रह का काफी प्रभाव पड़ा कांग्रेस संगठन के प्रति लोगों के हृदय में सम्मान और आस्था में बहुत अधिक वृद्धि हुई। जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का नया स्वरूप देखने को मिला। गांधी जी का व्यक्तित्व जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों के दिलों में आदर भाव पैदा हुआ। राजनीतिक दृष्टिकोण में भी काफी परिवर्तन आया नेशनल रिफॉर्म पार्टी बिल्कुल समाप्त हो गई और यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव को भी धक्का लगा। आर्य समाज का धार्मिक प्रचार पूरी तरह दो भागों में बट गया। अधिकतर आर्य समाज के प्रचारक कांग्रेस की ओर आये और कुछ नए लोग यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ चले गए। परंतु हरियाणा में प्रशासन का रुख उनके प्रति द्वेष पूर्ण बना रहा।

काँग्रेस सेवा दल कैम्प पर पुलिस का छापा

मार्च 1932 में झज्जर रोड कर कांग्रेस सेवा दल कैम्प पर पुलिस ने छापा मार कर कैम्प का सारा सामान उठा लिया और कैम्प कमाण्डर श्री परमेश्वरम मद्रास, श्री देसाई महाराष्ट्र, पं० औराम शर्मा, पं० रामफूल सिंह, चौ० भरत सिंह मोलरा, चौ० सलवंत सिंह मोखरा, चौ० हरीराम कुलताना को गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमा चला। 6 जून को इनसे एक-एक साल की जमानतें मांगी गईं। चौ० सलवन्त सिंह व चौधरी होराम बोर पं० रामफूल सिंह ने जमानतें दे दी और बाकी सब एक-एक वर्ष के लिए जेल चले गए।

बेरी थाने में बालन्टियरों की पिटाई

सन 1931 में रामतिह जाखड़, चौ० लायकराम मारोत, चौ० जुगलाल अछेज और राव श्योलाल खापड़वास गाँव जहाजगढ़ से कांग्रेस का प्रचार करके बेरी की ओर पैदल जा रहे थे, करीब दो मील चलने पर जिहाज-गढ़ के जेलदार चम्पन लाल कुछ लोगों के साथ पीछे से आये और बालन्टियरों पर अचानक हमला कर मारपीट की और उनका झण्डा छीनकर ले गए।

निश्कर्ष:-

हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह(1930-1932) के दौरान लोगों ने विरोध-प्रदर्शनों, पिकेटिंग, हड़तालों, जुलूसों, धरनों और बहिष्कार आदि माध्यमों से देश के अन्य भागों की तरह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए। इस आंदोलन से पूर्व ही जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए हुए प्रदर्शनों के दौरान हरियाणा क्षेत्र के नगरों में व्यापक जनजागृति फैल चुकी थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसंबर, 1929) में पारित पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव की अनुपालना में 26 जनवरी, 1930 को हरियाणा क्षेत्र के सभी बड़े नगरों में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और बड़े-बड़े जुलूस और आम सभाएं आयोजित की गईं। गांधीजी द्वारा 6 अप्रैल, 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ ही हरियाणा में भी आंदोलन व्यापक रूप से प्रारंभ हो गया। रोहतक, झज्जर, भिवानी, पानीपत, अंबाला, हिसार, सिरसा, गुडगांव और करनाल आदि शहरों में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिसंबर, 1932 तक हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सत्याग्रह व्यापक रूप से जारी था। 1932 ई० के पश्चात् हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे-धीरे स्थिर पड़ गया।



अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348-2605 Impact Factor: 6.789 Volume 10-Issue 02, (April-June 2022)

संदर्भ सूची:-

1. जाखड़, रामसिंह, स्वतन्त्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान, (रोहतक: हरियाणा साहित्य मण्डल, 1991), पृ0 60-77
2. यादव, के0सी0, हरियाणा प्रदेश का इतिहास, (नई दिल्ली: मनोहर पब्लिकेशन्स, 1990) पृ0 320-323
3. अहमद, एजाज, हरियाणा का इतिहास, (दिल्ली: कल्पना प्रकाशन, 2022), पृ0 238-241
4. यादव, के0 सी0, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति खण्ड-2 (1803 से 1966 तक) (नई दिल्ली: मनोहर पब्लिकेशन्स, 1992)
- 5- Mittal, S. C. Haryana: A Historical Perspective, (New Delhi, Atlantic Publishers & Distributor 1986).
- 6- Ahuja, Sunil, District Gazetteers, Bhiwani (Chandigarh: H.G.O., Revenue Department Govt. of Haryana, 1982)